लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ0प्र0—226007

Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412.

संदर्भ संख्या :............................/सम्बद्धता/2018

दिनांक :..

ई—मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

अति आवश्यक/अनुस्मारक—2

कार्यालय—ज्ञाप

सूच्य है कि मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में लखनऊ विश्वविद्यालय से 54 सहयुक्त महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक डी0पी0ए0 सभागार, ल0वि0वि0 में दिनांक 24.01.2018 को सायं 3:00 बजे सम्पन्न हुयी। उक्त बैठक में निम्नलिखित महाविद्यालयों का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ और न ही उपस्थित न होने की कोई सूचना दी गयी थी :—

1. अकबरी बेगम कालेज ऑफ एजूकेशन, गणेशपुर रहमानपुर, चिनहट, लखनऊ।
2. नादर्न इण्डिया इंजीनियरिंग कालेज, फैजाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ।

उक्त तारतम्य में यह भी सूचित करना है कि वि0वि0 के पत्र संख्या : 50844—47, दिनांक 10.11.2017, अनुस्मारक संख्या : 52230—34, दिनांक 30.11.2017, संख्या : 1020—81, दिनांक 18.01.2018 एवं संख्या : 1724—25, दिनांक 23.01.2018 द्वारा सूचनायें मांगे जाने व बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के निर्देशों की अवहेलना उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा किये जाने के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 25.01.2018 के माध्यम से स्पष्टीकरण आख्या एवं सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु अद्यतन आख्या व सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं।

अतः संदर्भित महाविद्यालयों को मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्धारित प्रारूप पर मांगी गयी सूचनायें **दिनांक 31.01.2018 तक विशेष वाहक के माध्यम से इस स्पष्टीकरण आख्या के** साथ उपलब्ध करा दी जाये कि क्यों न विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों/सहयुक्तता की शर्तों की अवहेलना के दृष्टिगत महाविद्यालय के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही यथा—सहयुक्तता समाप्त करने अथवा प्रवेश प्रतिबन्धित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

(डॉ0 भावना मिश्रा)
उप कुलसचिव (सम्ब.)

संख्या AF 3433-38 दिनांक : 30/01/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0।
4. इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि निम्नलिखित महाविद्यालयों को ई—मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें :—
   01 अकबरी बेगम कालेज ऑफ एजूकेशन, गनेशपुर, रहमानपुर, लखनऊ।
   02 नादर्न इण्डिया इंजीनियरिंग कालेज, फैजाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ।
5. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
6. प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या, उपरोक्त सम्बन्धित महाविद्यालय को अनुपालनार्थ।
7. गार्ड फाईल।

Bmishra
उप कुलसचिव (सम्ब.)

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ0प्र0—226007

Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या :........................../सम्बद्धता/2018

दिनांक :..

ई—मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय—ज्ञाप

प्रबन्धक/प्राचार्य,
नादर्न इण्डिया इंजीनियरिंग कालेज,
फैजाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ।

महोदय,

सूच्य है कि मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में लखनऊ विश्वविद्यालय से 54 सहयुक्त महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक डी0पी0ए0 सभागार, ल0वि0वि0 में दिनांक 24.01.2018 को सायं 3:00 बजे सम्पन्न हुयी। उक्त बैठक में आपके महाविद्यालय का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ और न ही उपस्थित न होने की कोई सूचना दी गयी है।

उक्त तारतम्य में यह भी सूचित करना है कि वि0वि0 के पत्र संख्या : 50844—47, दिनांक 10.11.2017, अनुस्मारक संख्या : 52230—34, दिनांक 30.11.2017, संख्या : 1020—81, दिनांक 18.01.2018 एवं संख्या : 1724—25, दिनांक 23.01.2018 द्वारा सूचनायें मांगे जाने व बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के निर्देशों की अवहेलना उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा किये जाने के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अतः संदर्भित महाविद्यालयों को मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्धारित प्रारुप पर मांगी गयी सूचनायें **तीन दिवस के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से इस स्पष्टीकरण आख्या के** साथ उपलब्ध करा दी जाये कि क्यों न विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों/सहयुक्तता की शर्तों की अवहेलना के दृष्टिगत महाविद्यालय के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही यथा—सहयुक्तता समाप्त करने अथवा प्रवेश प्रतिबन्धित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

(डॉ0 भावना मिश्रा)
उप कुलसचिव (सम्ब.)

संख्या : AF 3427-29 दिनांक : 30/01/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त महाविद्यालय को ई—मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाईल।

Bmishra

उप कुलसचिव (सम्ब.)